मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0

मुख्यालय, पर्यटन भवन, भदभदा, रोड़, भोपाल

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

क्रमांक 5692/योजना/पविनि/2012, **दिनांक 15.05.2012**

म0प्र0 राज्य पर्यटन निगम द्वारा जनजातिय क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिण्डोरी एवं मण्डला जिला स्थित बैगा एवं गौण्ड जनजातिय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने हेतु विषय विशेषज्ञ/सलाहकार नियुक्त किया जाना है। विस्तृत जानकारी म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम की वेबसाईट **www.mpstdc.com** पर देखी जा सकती है। सील बन्द लिफाफे दिनांक 30.05.2012 को अपरान्ह 4.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।

प्रबंध संचालक

अभिरूचि की अभिव्यक्ति
जनजातिय मेडिकल टूरिज़्म की
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

➢ स्कोप ऑफ वर्क

1. मध्यप्रदेश के मण्डला एवं डिण्डोरी जिले में बैगा एवं गौण्ड जनजाति का ऐतिहासिक एवं प्रागऐतिहासिक जानकारी का आकलन।
2. बैगा एवं गौण्ड जनजाति का प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र।
3. बैगा एवं गौण्ड जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध जैव विविधता तथा औषधिय गुणों से युक्त विभिन्न जडी–बुटियों एवं पेड़–पौधों की प्रजातियों का अध्ययन।
4. बैगा एवं गौण्ड प्रजाति के पारम्परिक औषधी ज्ञान पर शोध।
5. देश की पुरातन प्राकृतिक चिकित्सा एवं बैगा – गौण्ड जनजातियों की चिकित्सा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन।
6. उन बिमारियों को चिन्हित किया जाना, जिनकी चिकित्सा में बैगा एवं गौण्ड जनजाति की निपुणता है।
7. उन लोगों को चिन्हित किया जाना जो इस क्षेंत्र के औषधीयुक्त पौधों की जानकारी रखते है तथा उनका उपयोग जानते हो।
8. उस उपयुक्त जगह को चिन्हित किया जाना जहॉ पर मध्यप्रदेश पर्यटन इस क्षेत्र की औषधियों पर आधारित परामर्श/चिकित्सा केन्द्र स्थापित कर सकता है।
9. इस प्रकार के चिकित्सा केन्द्र के लिए किस प्रकार की अधोसंरचना की आवश्यकता होगी।
10. ऐसे स्थानीय रहवासियों को चिन्हित किया जाना जो इस कार्य में सहयोग प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।

आवेदक को जनजातिय मेडिकल टूरिज्म संबंधी कार्यो का अनुभव हो, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनायें गये हो। इसका प्रमाण पत्र अपने बायोडाटा मे भी प्रस्तुत करना होगा। विषय विशेषज्ञ/सलाहकार को मानदेय, कन्सल्टेन्सी फीस, परिवहन, आवास एवं भोजन, दैनिक भत्ता के अलावा डीपीआर की छः रंगीन प्रतियॉ आदि सब मिलाकर रूपये 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) से अधिक का भुगतान नही होगा।

उक्त भुगतान कार्यादेश के समय 30 प्रतिशत, ड्राफ्ट डीपीआर प्रस्तुती पर 30 प्रतिशत एवं डीपीआर के अनुमोदन उपरांत 40 प्रतिशत किया जाऐगा। मध्यप्रदेश पर्यटन की बेव साईट www.mpstdc.com पर लोड नियम एवं शर्तों के अनुसार सील बंद लिफाफे प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मुख्यालय, पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल को अंतिम तिथि 30.05.2012 को अपरान्ह 4.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र पर **''जनजातिय मेडिकल टूरिज़्म की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु आवेदन पत्र''** लिखा होना आवश्यक है।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।

प्रबंध संचालक

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

जनजातिय मेडिकल पर्यटन के सलाहकार हेतु आवेदन पत्र

1 फर्म/संस्था का नाम :– ....

....

2 आवेदक का नामः–..

3 पिता का नामः–..

1. वर्तमान पताः–..

....

दूरभाष क्रमांक.. ई–मेल .... पिन कोड ....

2. स्थाई पताः–..

....

3. जन्मतिथि :–..

4. शैक्षणिक योग्यता :–..

....

5. कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र सहितः–..

....

6. विशेष जानकारी :–..

....

7. आवेदक द्वारा अपेक्षित मानदेयः–.. ....

आवेदक के हस्ताक्षर